

अधिनियम की धारा-21 (1) एवं (2) के अन्तर्गत सामान्य सूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, जैसा की उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) अधिसूचना संख्या—2118/आठ-वि०भू०अ०अ०,सि० नगर/अधि०सू०/2020-21/दिनांक: 29 अक्टूबर 2020 निर्गत करते हैं तथा अधिशासी अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़, मुख्यालय-बढ़नी, सिद्धार्थनगर के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु राप्ती मुख्य नहर निर्माण परियोजना के लिए जिला-सिद्धार्थनगर, तहसील-शोहरतगढ़, परगना-नौगढ़, ग्राम-घरुआर, दिनांक में स्थित अधिनियम की धारा-19 के अन्तर्गत समुचित भूमि की उद्घोषणा संख्या-2449/आठ-वि०भू०अ०अ०/सि०नगर/2021-22 दिनांक 03 मार्च 2021 अतः अपेक्षित भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर के कार्यालय-विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी, सिद्धार्थनगर में 11:00 बजे पूर्वान्ह पर दिनांक 22/03/2021 को उपस्थित हों तथा भूमि में अपने से संबंधित हित की प्रकृति तथा ऐसे हितों के संबंध में दावे की धनराशि एवं ब्यौरा, अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत किये गये मापन यदि कोई हो तो पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन के दावे को संलग्न करते हुए अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें।

भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

| जनपद | परगना/तहसील | ग्राम/नगर | भू-खण्ड संख्या/गाटा संख्या | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|--------------|----------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| सिद्धार्थनगर | नौगढ़/शोहरतगढ़ | घरुआर | 307 | 0.1260 |
| सिद्धार्थनगर | नौगढ़/ " " | घरुआर | 308 | 3.4592 |
| सिद्धार्थनगर | नौगढ़/ " " | घरुआर | 309 | 0.5328 |
| कुल | - | - | - | 4.1180 |

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली-2016

| अभिलिखित भू-धारक/स्वामी/उप स्वामी/भूमिधर/सरकारी पट्टेदार का नाम | किरायेदार/उप-किरायेदार/असामी, यदि कोई हो तो उसका नाम | अपेक्षित भूमि का उद्देश्य |
|--|--|-------------------------------|
| 6 | 7 | 8 |
| श्री अभिशेष कुमार, श्री सिद्धार्थ चौधरी पुत्रगण श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी पुत्र श्री चौधरी इन्द्र प्रताप, श्रीमती साधना चौधरी पत्नी चौधरी रवीन्द्र प्रताप, कु० पूजा चौधरी पुत्री श्री चौधरी रवीन्द्र प्रताप | - | राप्ती मुख्य नहर निर्माण हेतु |

यह नोटिस दिनांक 22/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर सहित सामान्य सूचना हेतु निर्गत किया गया है।


 विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी
 सिद्धार्थनगर